झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम– 12, 2017) की धारा 10 में संशोधन।
3. धारा–16 में संशोधन।
4. धारा–17 में संशोधन।
5. धारा–23 में संशोधन।
6. धारा–30 में संशोधन।
7. धारा–37 में संशोधन।
8. धारा–39 में संशोधन।
9. धारा–44 में संशोधन।
10. धारा–52 में संशोधन।
11. धारा–54 में संशोधन।
12. धारा–56 में संशोधन।
13. धारा–62 में संशोधन।
14. धारा–109 का समावेशन।
15. धारा–110 में संशोधन।
16. धारा–114 में संशोधन।
17. धारा–117 में संशोधन।
18. धारा–118 में संशोधन।
19. धारा–119 में संशोधन।
20. धारा–122 में संशोधन।
21. धारा–132 में संशोधन।
22. धारा–138 में संशोधन।
23. नयी धारा–158क का अन्तःस्थापन।
24. अनुसूची– III में कतिपय कियाकलापों एवं संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चैहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ. (1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 10 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (2) के खण्ड (घ) में, "माल या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2क), के खण्ड (ग) में "माल या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. धारा 16 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, "उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) तीसरे परंतुक में, "उसके द्वारा किए गए संदाय" शब्दों के पश्चात्, "उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 17 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में,--

(क) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, "अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिदिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"निम्नलिखित के सिवाय, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,-

(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और

(ii) उक्त अनुसूची के पैराग्राफ 8 के खण्ड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाएं";

(ख) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;";

5. धारा 23 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। (व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हैं।)

झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अन्तर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"।

6. धारा 30 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 में उप-धारा (1) में,-

(क) शब्दों के लिए "रद्दीकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर विहित रीति से:", शब्दों के स्थान पर शब्द "ऐसे रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा कि विहित की जाय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।

7. धारा 37 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों, पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियम तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

8. धारा 39 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्--

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

9. धारा 44 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् --

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

10. धारा 52 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियम तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

11. धारा 54 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, "जिसके अन्तर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," शब्दों का लोप किया जाएगा।

12. धारा 56 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में, "आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तथा ऐसी रीति में संगणित किए जाने वाले, ऐसे आवेदन के प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 62 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में,-

(क) "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामिला के साठ दिन के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामिला के साठ दिन से अधिक के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर साठ दिनों की एक और अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है, और यदि ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश को प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 47 के तहत विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।"।

14. धारा 109 का समावेशन- अपीलीय न्यायाधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"109 इस अध्याय के प्रावधानों के अध्यधीन,केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम,**2017** के अनर्गत गठित माल और सेवा कर न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण होगा।"।

15. धारा 110 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम में धारा 110 का लोप किया जायेगा।

16. धारा 114 में संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम में, धारा 114 का लोप किया जाएगा।

17. धारा 117 में संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 117 में,-

(क) उपधारा (1) में, "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठों" शब्दों के स्थान पर, "राज्य पीठ" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" शब्दों के पर, "राज्य पीठ" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 118 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "राष्ट्रीय पीठ या प्रान्तीय पीठों" शब्दों के स्थान पर "प्रधान पीठ" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

19. धारा 119 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 119 में,-

(क) शब्द "राष्ट्रीय पीठ या प्रान्तीय पीठों" शब्दों के स्थान पर "प्रधान पीठ" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंग ;

(ख) "राज्य पीठों या क्षत्रीय पीठों" शब्दों के स्थान पर "राज्य पीठ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

20. धारा 122 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क), के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है ;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है ; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो।"।

21. धारा 132 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,--

(क) खंड (छ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ठ) में, "खंड (क) से खंड (ट)" शब्दों, कोष्ठक और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) से खंड (च) और खंड (ज) से खंड (झ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, "जहां कर अपवंचन" शब्दों के स्थान पर, "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, "या खंड (छ) या खंड (ञ)" शब्दों, कोष्ठकों ओर अक्षरों का लोप किया जाएगा।

22. धारा 138 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 138 में,--

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में, --

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज) और खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;";

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है ;";

(iv) खंड (ड.) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में "न्यूनतम रकम दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्दों के स्थान पर "अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

23. नई धारा 158क का अंतःस्थापन। (कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति को सम्मति के आधार पर साझा करना)

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 158 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी,अर्थात्:-

"158क (1) धारा 133, 152 और 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, झारखण्ड सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात्:--

(क) धारा 25 की अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्योरे और धारा 68 की अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड क गई विशिष्टियां:

(ग) ऐसे अन्य ब्योरे, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्योरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,--

(क) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्योरों के सबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति ; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्रामिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अन्तर्गत प्रामिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है, ऐसे प्रारूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत सूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"।

24. झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।

(1) झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (2019 के अधिनियम सं0 31 की धारा 31 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किंतु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत हुई होती।

यह विधेयक झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 दिनांक 04 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 04 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 31--50--11-08-2023 ।